

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक : 10-10-2013

## प्रेस-नोट

आयोग द्वारा दिनांक : 09.10.2013 को जारी प्रेस विज्ञापित के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कनिष्ठ लिपिक परीक्षा, 2011 के संशोधित परिणाम के अन्तर्गत संशोधित प्राथमिकता क्रम भरने वाले अभ्यर्थीगण को वर्तमान में इसके साथ कोई शुल्क जमा नहीं करना है। यह शुल्क संशोधन की अनुमति के उपरांत देय होगा।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह संशोधित प्राथमिकता क्रम भरना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। जो अभ्यर्थीगण संशोधित परिणाम के अन्तर्गत पूर्व विभाग की बजाए भिन्न विभाग में चयनित हो गये हैं और वे पूर्व विभाग में ही कार्यरत रहना चाहते हैं, उनके संबंध में पृथक से प्रशासनिक निर्णय लिया जाएगा।

  
(आर.सी.एल.भीणा)  
उप सचिव

( ) परीक्षा ग/क.लि./रा.लो.से.आ/2011/545-550


दिनांक : 10-10-2013

प्रतिलिपि प्रेषित है :- विज्ञापन सम्पादक,

1. राजस्थान पत्रिका (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
2. दैनिक नवज्योति (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
3. दैनिक भास्कर (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
4. राष्ट्रदूत (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
5. पंजाब कैंसरी अजमेर 6. महका भारत अजमेर 7. डेली न्यूज जयपुर 8. इंडीपी

को प्रेस-नोट की प्रति भेजकर निवेदन है कि उपर्युक्त प्रेस-नोट को आपके आने वाले नवीनतम दैनिक संस्करण में केवल एक बार नि:शुल्क प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावे। कृपया प्रकाशित सामग्री की जांच हेतु कटिंग की एक प्रति (नि:शुल्क) निम्नलिखित पते पर सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित सामग्री की जांच की जा सके।

अनुभाग अधिकारी, परीक्षा 'क' अनुभाग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

  
सहायक सचिव